<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फ. स. 6/8/2021-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 27 नवम्बर 2024

<u>समाप्ति अधिसूचना</u>

विषय: कुवैत, सऊदी अरब और यूएसए से उद्भूत अथवा निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी)" के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच की समाप्ति।

क. परिचय

1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए) नियम, 1995 (जिसे इसके बाद नियम भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड (आईजीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) (इसके बाद आवेदक के रूप में भी संदर्भित) सरकार ने कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमरीका (जिसे इसके बाद संबद्ध देशों के रूप में संदभत किया गया है) से उद्भूत अथवा निर्यातित मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकरण भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकरण ने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और आवेदक द्वारा प्रस्तुत पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आधार पर कथित पाटन और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में नियमों के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू की है।

3. प्राधिकरण ने तदनुसार *भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/8/2021-डीजीटीआर दिनांक 28 जून, 2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया,*

जिसमें कुवैत, सऊदी अरब और यूएसए से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू की गई।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले संबंधित देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

5. प्राधिकरण ने जांच अधिसूचना की प्रतियां भारत में विषय देशों के दूतावासों, संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमों के नियम 6(2) के अनुसार जांच अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करें। हालांकि, इच्छुक पार्टियों के अनुरोध पर, सबमिशन करने की समय सीमा 7 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई थी।

6. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबंधित देशों के दूतावासों को आवेदन के गैर-गोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।

7. भारत में विषय देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।

8. जांच अधिसूचना और सूचना के प्रत्युत्तर में, विषय देशों के निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर और कानूनी प्रस्तुतियाँ दायर करके प्राधिकरण को उत्तर दिया।

9. डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।

10. प्राधिकरण ने 9 दिसंबर, 2021 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की ताकि इच्छुक पार्टियों को पाटन रोधी नियमों के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

11. विषय पाटन रोधी जांच को पूरा करने और अंतिम निष्कर्ष जारी करने के लिए 3 महीने का विस्तार केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। तदनुसार, प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर 2022 को अंतिम निष्कर्ष जारी किए।

12. 27 अक्टूबर 2022 को अपने अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

> *"154. विभिन्न इच्छुक पक्षों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत प्रतिष्ठापित प्रावधानों के अनुसार वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझाता है। इसलिए, पाटन रोधी नियमों के नियम 14 (बी), नियम 17 (1) (ए) (ii) और नियम 11 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए और 9बी के संदर्भ में, नामित प्राधिकारी वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेता है जिसे अधिसूचना संख्या फ सं 6/8/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून 2021 के माध्यम से शुरू किया गया था।*

13. तदनुसार, जांच समाप्त कर दी गई थी।

14. वर्तमान जांच में सह-आवेदक मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 27 अक्टूबर 2022 को जारी अंतिम निष्कर्षों के खिलाफ अपील की। अपीलकर्ता ने अंतिम निष्कर्षों के निष्कर्ष को चुनौती दी कि घरेलू उद्योग को नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में भौतिक नुकसान नहीं हुआ था। माननीय सीस्टेट ने अंतिम निष्कर्षों की जांच की, और *अपने अंतिम आदेश संख्या 51370/2023* के माध्यम से निम्नानुसार आयोजित किया:

> *"105. वर्तमान मामले में नामित प्राधिकारी ने विशेष रूप से 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सुधार पर*

भरोसा किया है और इससे पहले के वर्षों में रुझानों की अनदेखी की है। इस तरह की चयनात्मक परीक्षा, विशेष रूप से वर्तमान तथ्यों में जहां घरेलू उद्योग ने 2019- 20 से क्षति का दावा किया है, क्षति के आकलन के पूरे उद्देश्य को विफल कर सकता है।

106. इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि नामित प्राधिकारी को ऊपर की गई टिप्पणियों के प्रकाश में मामले की फिर से जांच करनी होगी। इस प्रयोजन के लिए, नामित प्राधिकारी अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं दोनों को अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने का अवसर देगा और प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद और ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, अपने अंतिम निष्कर्ष देगा।

107. दिनांक 27.10.2022 की अधिसूचना में निहित नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष, तदनुसार, अलग रखे जाते हैं और मामले को ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में अंतिम निष्कर्ष देने के लिए नामित प्राधिकारी को भेज दिया जाता है। अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

15. दिनांक 25 सितंबर 2024 के पत्र के माध्यम से घरेलू उद्योग ने यह कहते हुए विषय वस्तु में दायर आवेदन वापस ले लिया कि रिमांड जांच में जांच की अवधि 4 वर्ष पुरानी है और इसलिए इस तरह के आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति पर कोई भी निष्कर्ष वर्तमान बाजार वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा।

घ. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

16. घरेलू उद्योग, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपने *पत्र दिनांक 25 सितंबर 2024* के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है।

17. प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के नियम 14 (ए) निम्नानुसार है:

जांच की समाप्ति - नामित प्राधिकारी, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके, एक जांच को तुरंत समाप्त कर देगा यदि - (ए) यह प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त करता है, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी;

18. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 में उन परिस्थितियों सहित जांच समाप्त करने का प्रावधान है जिनमें घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस ले लिया गया है। नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देगा यदि उसे प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है।

19. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग का गठन करने वाले इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड (आईजीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग ने आवेदन वापस लेने के लिए प्राधिकरण के पास पत्र दायर किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के नियम 14 (ए) में प्राधिकरण को जांच को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, जब घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, जांच को समाप्त करने के लिए लिखित अनुरोध दायर करता है।

ङ. निष्कर्ष

20. संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में और नियम 14(अ) के प्रावधानों के तहत, प्राधिकरण 28.06.2021 को जारी अधिसूचना संख्या 6/8/2021-डीजीटीआर द्वारा कुवैत, सऊदी अरब और अमेरिका से मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी या एथिलीन ग्लाइकोल) के आयात के खिलाफ शुरू की गई जांच को समाप्त करता है।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी